

2021/688

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर

प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 कैम्प-आसोप

दिनांक:- 29/11/21

क्रमांक:- प्र.गां.के.सं.अ./2021/1667

प्रेषित:- तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर

विषय:- DILRMP के तहत की गयी गलत तरमीम दुरुस्ती करने बाबत। (एलआर एक्ट की धारा 131.136 के तहत)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम आसोप I पटवार हल्का आसोप I
के खाता संख्या 509, 855 जिसके खसरा नं. 1244, 1245 रकबा 1.0846
0.1295 हे० किस्म आसोप I की तरमीम दुरुस्ती के तहत प्राप्त प्रार्थी के आवेदन पत्र,
पटवारी आसोप I भू अभिलेख निरीक्षक आसोप की जांच रिपोर्ट एवं
तहसीलदार भोपालगढ़ की स्पष्ट अनुशंसा के आधार एवं राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा
अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरुस्ती की स्वीकृति दी जाती है एवं तहसीलदार भोपालगढ़ को
आदेशित किया जाता है कि तरमीम दुरुस्ती अनुसार नक्शों में इन्द्राज करे।

नोट:- पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की
अनुशंसा रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा।



Harsh
29.11.21

(हार्श सिंह यादव)
सहायक अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

दिनांक:- 29/11/21

क्रमांक:- सम/1664

प्रतिलिपि:-

1. प्रार्थी श्री नारायणराम को सूचनार्थ।

Harsh
29.11.21

(हार्श सिंह यादव)
सहायक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

5/12
2021
L.R.O.

